रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 20, 1999/वैशाख 30, 1921
No. 250] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 20, 1999/VAISAKHA 30, 1921

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मई, 1999

सा.का.नि. 371 (अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए एक प्रारूप, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड3, उपखंड (ii) तारीख 6 जुलाई, 1998 के अधीन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं० एसओ० 379 (अ) तारीख 6 जुलाई, 1998 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिनों की अवधि के समाप्ति से पहले आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए, प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र 17 जुलाई, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दिए गए थे;

और उक्त प्रारूप के प्रकाशन से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड

से परामर्श करने के पश्चात कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1999 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(घक) 'वाणिज्यिक आशक जीव नियंत्रण संक्रिया' से अभिप्रेत है घरों या पब्लिक या प्राइवेट परिसरों या भूमि सहित उनमें कीटनाशियों का उपयोजन या धूमकों द्वारा उन्हें तितर-बितर करना, जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में हवाई छिड़काव करके आशक जीव नियंत्रण संक्रियाएं करना भी है किन्तु उसका निजी उपयोग करना नहीं है;

(घख) 'आशक जीव नियंत्रक (आपरेटर)' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आशक जीव नियंत्रण संक्रियाएं हाथ में लेता है और इसमें कोई ऐसा व्यक्ति या फर्म या कम्पनी या कोई ऐसा संगठन भी है जिसके/जिनके नियंत्रण में ऐसा कोई व्यक्ति संक्रिया कर रहा है ।"

3. उक्त नियम के नियम 6 में:-

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(2) रजिस्ट्रीकरण फीस के लिए फरीदाबाद पर संदाय लेखा अधिकारी, पौध संरक्षण, करंतीन और भंडागार निदेशालय के पक्ष में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट सहित सम्यक रूप से भरा गया आवेदन सचिव, रजिस्ट्रीकरण समिति, पौध संरक्षण, करंतीन और भंडागार, राष्ट्रीय राजमार्ग -4 फरीदाबाद-121 001 हरियाणा को भेजा जाएगा । फीस निम्नानुसार संदेय होगी:-

(i) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(3) और 9(3क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के प्रत्येक मामले में पांच हजार रुपए;

(ii) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9(4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के मामले में दो हजार पांच सौ रुपए ।

(ख) उपनियम (6) (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6. (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करना--यदि मूल रजिस्ट्रकरण प्रमाण-पत्र, विरूपित हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है या गुम हो जाता है तो उसकी दूसरी प्रति के लिए लेखा अधिकारी, पौध संरक्षण, करंतीन, भंडागार निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा के पक्ष में, भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त किए गए एक सौ रुपए के मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में फीस संदत्त की जाएगी ।"

(ग) इस प्रकार संशोधित नियम 6(क) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा :-

"6(ख) लेबल और पर्चों सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में वर्धन, लोप या परिवर्तन करना - प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक रजिस्ट्री करण प्रमाण-पत्र में उसके लेबलों और पर्चों सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में वर्धन, लोप या परिवर्तन के लिए पौध संरक्षण, करंतीन और भंडागारण निदेशालय, फरीदाबाद, हरियाणा के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, फरीदाबाद से प्राप्त किए गए एक सौ रुपए के मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में फीस संदत्त की जाएगी ।"

(4) उक्त नियम के नियम 7 में,-

(क) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) प्रत्येक अपील के साथ फीस के लिए एक सौ रुपए के मांगदेय ड्राफ्ट और उस निर्णय की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है, होगी ।"

(ख) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) अपील के लिए फीस, वेतन और लेखा अधिकारी, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली से प्राप्त मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदेय होगी ।"

5. उक्त नियम के नियम 9 में -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) किसी कीटनाशी के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूरी करने या नवीकरण के लिए आवेदन, यथास्थिति, प्ररूप 3 या प्ररूप 4 में अनुज्ञापन अधिकारी को किया जाएगा और उसके साथ प्रत्येक कीटनाशी के लिए दो हजार रुपए और सभी कीटनाशी के लिए अधिकतम बीस हजार रुपए की फीस होगी जिसकी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जाता है;

(ख) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"(5) इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति की, यदि मूल अनुज्ञप्ति विरूपित, नष्ट या खो जाती है तो उसकी दूसरी प्रति के लिए एक सौ रुपए की फीस का संदाय किया जाएगा ।".

6. उक्त नियम के नियम 10 में --

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन संदेय फीस ऐसे प्रत्येक कीटनाशी के लिए जिसके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया गया है, पांच सौ रुपए होगी । यदि किसी कीटनाशी को एक से अधिक स्थानों पर विक्रय, स्टाक या प्रदर्शित करना है तो प्रत्येक स्थान के लिए पृथक फीस होगी;

परन्तु घरेलू प्रयोजनों के लिए सामान्य उपयोग में लाए जाने वाले और उस रूप में रजिस्ट्रीकृत कीटनाशी की बाबत प्रत्येक स्थान के लिए अधिकतम फीस सात हजार पांच सौ रुपए होगी ।

परन्तु यह कि यदि विक्रय का स्थान ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया गया है तो फीस इस नियम में विनिर्दिष्ट फीस के पांचवा भाग होगा ।

(ख) उपनियम (3) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम (3क) अन्त:स्थापित किया जाएगा अर्थात:-

"(3क) जैवनाशक जीव नियंत्रण आपरेटर --(i) कोई व्यक्ति जो अल्युमिनियम फास्फाइड, मिथायल ब्रोमाइड, मिथेलीन डाईब्रोमाइड या यथा अधिसूचित, का उपयोग करते हुए जैवनाशक जीव नियंत्रण संक्रियाएं करने की वांछना करता है तो वह संक्रिया के प्रत्येक स्थान के लिए एक हजार रुपए की फीस के साथ प्रारूप 6क में आवेदन करेगा । ऐसी संक्रियाओं के लिए मंजूरी की गई अनुज्ञप्ति पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगी परन्तु इस अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण प्रारूप 6ख में आवेदन किए जाने पर उसके सत्यापन या निरीक्षण किए जाने के पश्चात् आवेदन के साथ एक हजार रुपए की फीस के साथ और पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा ।

(iii) नाशक जीव नियंत्रण आपरेटरों के लिए कीटजाणिणों का स्टाक और उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रारूप 6ग में जारी की जाएगी;

(iii) कोई व्यक्ति जो नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाएं लेने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन करता है तो उसे कृषि या विज्ञान में रसायन विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, साथ ही उसके पास निम्नलिखित संस्थाओं में कम से कम पन्द्रह दिन का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए:-

केन्द्रीय आय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर;

भारतीय अनाज भंडारण संस्थान, हापुड़; राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद ।

(iv) धूमकरण करने के लिए नाशक जीव नियंत्रण आपरेटरों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी । पौध संरक्षण सलाहकार रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया और सिद्धांतों के अनुसार ऐसी अनुमति मंजूर करेगा;

(v) वाणिज्यिक नाशक जीव नियंत्रण आपरेटर, उनके द्वारा धूमकरण संक्रियाएं करने की बाबत भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा अधिकथित विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ।

(ग) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(6) इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति की, यदि मूल अनुज्ञप्ति विरूपित, नष्ट या खो जाती है तो उसकी दूसरी प्रति के लिए एक सौ रुपए की फीस का संदाय किया जाएगा ।"

7. उक्त नियम के नियम 11 में --

(1) उपखंड (ii) और (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:-

"(ii) कीटजाणिणों के विनिर्माण या नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाएं चलाने के लिए अनुज्ञप्ति के मामले में पहले मास या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपए, दूसरे मास या उसके भाग के लिए एक हजार रुपए और तीसरे मास या उसके भाग के लिए एक हजार पांच सौ रुपए;

(iii) किसी अन्य अनुज्ञप्ति के मामले में नवीकरण के आवेदन के साथ पहले मास या उसके भाग के लिए एक सौ रुपए, दूसरे मास या उसके भाग के लिए दो सौ रुपए और तीसरे मास या उसके भाग के लिए तीन सौ रुपए संदत्त किए जाएंगे;

परन्तु यह कि जहां मुख्य नाशक जीव नियंत्रण संक्रिया एक या विक्रय का स्थान ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है वहां देर-फीस, उक्त देर-फीस का पांचवां भाग होगा;

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति धारी की मृत्यु या निःशक्तता होने की दशा में अनुज्ञापत्र अधिकारी लिखित में कारणों को अभिलेख करने के पश्चात आवेदक को देर-फीस के संदाय से छूट दे सकेगा ।"

(2) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) अनुज्ञप्ति का प्रवर्तन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसे वापस कर या प्रतिसंहरित नहीं किया जाता । जहां धारा 15 के अधीन कोई अपील की जाती है वहां अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि अपील का निपटारा नहीं हो जाता या अपील के लम्बित निपटारे के लिए अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश दिया जाये ।"

8. उक्त नियम के नियम 14 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ एक सौ रुपए की फीस होगी ।"

9. उक्त नियम की पहली अनुसूची में प्ररूप 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप 6क

(नियम 10(3) देखिए)

वाणिज्यिक नाशक जीव नियंत्रण संक्रिया (संक्रियाओं) के लिये निर्बन्धित कीटनाशी (कीटनाशियों) के स्टाक और उपयोग की अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिये आवेदन ।

सेवा में,

अनुज्ञापत्र प्राधिकारी,

---

1. आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)----------

2. पता ----------

(1) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय----------

(2) आंचलिक कार्यालय----------

(3) वे परिसर जिसके लिये आवेदन किया गया है----------

3. क्या आवेदक पहले से ही कारोबार में है या अवसंगतक है----------

4. उत्तरदायी तकनीकी व्यक्ति की अर्हताएं :-

(1) शैक्षिक अर्हता----------

(2) जैविक जीव नियंत्रण संक्रियाओं में प्रशिक्षण----------

(3) निर्धारित कीटनाशी (कीटनाशियों) के उपयोग करने का अनुभव----------

(दावे के संबंध में सबूत संलग्न करें)

5. यदि व्यवसाय में हैं तो संभाले जाने वाले निर्धारित कीटनाशी (कीटनाशियों) और की गई संक्रियाओं की श्रेणियां, वह अवधि और स्थान (स्थानों) जहां पर व्यावसाय किया था, के नामों की पूरी विशिष्टियां दें----------

6. आवेदन की तारीख को कब्जे में रखे गये प्रत्येक निर्धारित कीटनाशी का परिमाण (उन स्थान (स्थानों) के ब्यौरे दें जहां पर वह रखा गया है ।)

7. व्यवसाय में नियुक्त या नियुक्त किये जाने के लिये प्रस्तावित व्यक्तियों के ब्यौरे (पृथक कागज, सम्यक रूप से अधिप्रमाणित संलग्न करें)----------

8. अध्याय के अधीन अपेक्षित चिन्हकों और सभी अन्य सुविधाओं के साथ उपलब्ध सुरक्षा साधित्र के ब्यौरे जो उपयोग के लिये रखी जाएगी----------

9. उन शाखा कार्यालयों और डिपों की अवस्थिति जहां उपयोग के लिए निर्धारित कीटनाशी (कीटनाशियों) को भंडार में रखा जायेगा ।

10. उन निर्धारित कीटनाशी (कीटनाशियों) का नाम जिसका आवेदक उपयोग करना चाहता है ।

11. वे प्रवर्ग (प्रवर्गों) जिनके लिये आवेदन किया गया है ।

12. जमा की गई फीस (फीसों) की विशिष्टियां.

13. क्या जैविक जीव नियंत्रण संक्रियाएं करने के लिये भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार द्वारा तकनीकी विशेषज्ञता को अनुमोदित किया गया है (सबूत संलग्न करें).

14. क्या धूमकरण करने के लिए भारत सरकार के पौध संरक्षण सलाहकार से अनुमति प्राप्त की गई है (सबूत और विधिमान्यता प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं----------सुपुत्र----------सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि आवेदन और उपबंध तथा उसके साथ कथनों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह आवेदन--------।पदनाम। की हैसियत से कर रहा हूं और आवेदन तथा उसका सत्यापन करने के लिये पहले से ही प्रस्तुत की गई फोटो/प्रमाणित प्रति के आधार पर, सक्षम हूं ।,

तारीख----------

स्थान----------

मुद्रा सहित हस्ताक्षर

प्रारूप 6क

।नियम 10। उप। देखिए।

वाणिज्यिक नाशक जीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिए प्रतिबंधित कीटनाशियों के स्टाक और उपयोग की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन ।

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी

----------राज्य

मैं/हम प्रवर्ग ।, ।।, और ।।। में प्रतिबंधित कीटनाशियों के स्टाक और उनके उपयोग के लिये अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए----------के नाम और उपनाम में नवीकरण के लिये आवेदन करता हूं/करते हैं । नवीकृत की जाने वाली वांछित अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई थी और आबंटित अनुज्ञप्ति का संख्यांक----------, तारीख----------है ।

2. यदि निम्नलिखित में कोई परिवर्तन किया गया है तो बताएं:-

।क। संक्रिया का प्रवर्ग

।ख। विशेषज्ञ कर्मचारिवृन्द

।ग। उपयोग किये गये जिर्बेक्रियात कीटनाशीय

।घ। स्टाक करने का परिसर

।ङ.। शाखा कार्यालयों सहित पत्र

।च। क्या अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के पश्चात कोई शाखा/यूनिट जोड़ी गई है ।

।छ। कोई अन्य परिवर्तन

3. जमा की गई फीस की विशिष्टियां

4. नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नवीन ब्यौरे दीजिए ।

(सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित की गई अलग शीट संलग्न की जिए)

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं---------- सुपुत्र----------सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूं कि आवेदन और उपबंध तथा उसके साथ कथनों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह आवेदन----------(पदनाम) की हैसियत से कर रहा हूं और आवेदन तथा उसका सत्यापन करने के लिये पहले से ही प्रस्तुत की गई फोटो/प्रमाणित प्रति के आधार पर, सक्षम हूं ।

तारीख----------

स्थान---------- मुद्रा सहित हस्ताक्षर

(प्ररूप 6(ग))

(नियम10(3क) देखिए)

वाणिज्यिक आशय जीव नियंत्रण संक्रियाओं के लिये निर्बन्धित कीटनाशियों का स्टाक और उपयोग करने की अनुज्ञप्ति ।

मैं----------को विनिर्दिष्ट शर्तों और कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अवस्थित परिसरों में----------निर्बन्धित कीटनाशियों अर्थात्----------का स्टाक करने और वाणिज्यिक आशय जीव नियंत्रण संक्रियाएं करने के लिए अनुज्ञप्ति देता हूं ।

2. यह अनुज्ञप्ति तारीख----------से----------तक प्रवृत्त रहेगी ।

3. शर्तें, यदि कोई हो ।

तारीख

अनुज्ञप्ति सं----------

अनुज्ञापन प्राधिकारी "

मुद्रा

1518 GI/99-2

10. उक्त नियम के दसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

दसरी अनुसूची

[नियम 25 देखिए]

कीटनाशियों के नमूनों के परीक्षण या विश्लेषण के लिये फीस

क्र.सं.	कीटनाशी का नाम	सूत्रीकरण का टाइप	भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश उसके संशोधन अनुसार परीक्षण	परीक्षण प्रभार (रुपयों में)
1	2	3	4	5
क.	कीटनाशी			
1.	एलिड्रिन	तकनीकी	1306-1974	500.00
2.	एलिड्रिन	धूलन चूर्ण	1308-1984	500.00
3.	एलिड्रिन	पायसीकरणीय सांद्र	1307-1982	500.00
4.	एल्डीकार्ब	कैपसूल में कणिकाएं	9371-1980	500.00
5.	बी.एचसी (एच सी एच)	तकनीकी और परिष्कृत	560-1980	500.00
6.	बी एच सी (एच सी एच)	धूलन चूर्ण	561-1978	500.00
7.	बी एच सी (एच सी एच)	आर्द्रणीय चूर्ण	569-1978	500.00
8.	बी एच सी (गामा आईसोमर) पायसीकरणीय सांद्र	पायसीकरणीय सांद्र	632-1978	500.00
9.	कार्बोरिल	तकनीकी	7539-1975	500.00
10.	कार्बोरिल	धूलन चूर्ण	7122-1984	500.00
11.	कार्बोरिल	आर्द्रणीय चूर्ण	7121-1984	500.00
12.	कार्बोरिल	कणिकाएं	9368-1980	500.00
13.	कार्बोफ्यूरान	कैप्सूल में कणिकाएं	9360-1980	500.00
14.	क्लोरडेन	तकनीकी	2863-1961	250.00
15.	क्लोरडेन	धूलन चूर्ण	2864-1973	250.00
16.	क्लोरडेन	पायसीकरण सांद्र	2682-1984	350.00
17.	डी डी टी	तकनीकी	563-1973	350.00
18.	डी डी टी	धूलन चूर्ण	564-1984	250.00
19.	डी डी टी	आर्द्रणीय चूर्ण	565-1984	250.00

1.	2.	3.	4.	5.
20.	डी डी टी	पायसीकरणीय सांद्र	633-1985	350.00
21.	डायजीनाब	तकनीकी	1833-1980	250.00
22.	डायजीनाब	आर्द्रनीय चूर्ण	2862-1984	250.00
23.	डायजीनाब	पायसीकरणीय सांद्र	2861-1980	350.00
24.	डायजीनाब	कणिकाएं	9362-1980	350.00
25.	डायक्लोरवोस	तकनीकी	4929-1978	350.00
26.	डायक्लोरवोस	पायसीकरणीय सांद्र	5277-1978	500.00
27.	डायमेथीएट	तकनीकी	3902-1975	500.00
28.	डायमेथीएट	पायसीकरणीय सांद्र	3903-1984	500.00
29.	एन्डोसल्फ़ान	तकनीकी	4344-1978	250.00
30.	एन्डोसलफ़ान	पायसीकरणीय सांद्र	4323-1980	350.00
31.	एन्डोसलफ़ान	धूलन चूर्ण	4322-1967	250.00
32.	एन्डोसलफ़ान	आर्द्रनीय चूर्ण	4324-1967	250.00
33.	फैनोट्रोथियन	तकनीकी	5280--1969	250.00
34.	फैनोट्रोथियन	धूलन चूर्ण	7126--1973	250.00
35.	फैनीट्रोथियन	पायसीकरणीय सांद्र	5281--1979	250.00
36.	फैनीट्रोथियन	कणिकाएं	9365--1980	350.00
37.	फैनथियन	तकनीकी	7950--1976	500.00
38.	फैनथियन	पायसीकरणीय सांद्र	7948--1976	500.00
39.	फैनथायन	कणिकाएं	9353--1980	500.00
40.	फारमेथियन	पायसीकरणीय सांद्र	8926--1976	350.00
41.	हैप्टाक्लोर	तकनीकी	6432--1972	250.00
42.	हैप्टाक्लोर	धूलन चूर्ण	6429--1981	250.00
43.	हैप्टाक्लोर	पायसीकरणीय सांद्र	6439--1978	350.00
44.	लिन्डेन	तकनीकी	1592--1986	500.00
45.	लिन्डेन	कणिकाएं	9370--1980	500.00
46.	मैनथायान	तकनीकी	1832--1978	500.00

1.	2.	3.	4.	5.
47.	मैलथियान	धूलन चूर्ण	2558--1978	500.00
48.	मैलथायान	आर्द्रनीय चूर्ण	2569--1978	500.00
49.	मैलथायान	पायसीकरणीय सांद्र	2567--1970	500.00
50.	मेथिल पैराथियान	तकनीकी	2570--1980	500.00
51.	मेथिल पैराथियान	धूलन चूर्ण	8960--1978	250.00
52.	मेथिल पैराथियान	पायसीकरणीय सांद्र	2865--1978	500.00
53.	मेथिल पैराथियान	तकनीकी	9372--1980	250.00
54.	मोनोक्रोटोफोस	तकनीकी	8025--1983	350.00
55.	मोनोक्रोटोफोस	विलेय द्रव	8074--1983	500.00
56.	निकोटिन सल्फेट	घोल	1055--1984	250.00
57.	आक्सीडायमेटन मैथाइल	तकनीकी	8258--1976	250.00
58.	आक्सीडायमेटन मैथाइल	पायसीकरणीय सांद्र	8259--1976	350.00
59.	फैंथोएट	तकनीकी	8293--1976	250.00
60.	फैंथोएट	पायसीकरणीय सांद्र	8291--1976	350.00
61.	फोरेट	तकनीकी	7976--1976	250.00
62.	फोरेट	कैप्सूल में कणिकाएं	9359--1980	500.00
63.	फोसालोन	तकनीकी	0488--1977	500.00
64.	फोसालोन	पायसीकरणीय सांद्र	8487--1977	500.00
65.	फोसफामीडोन	तकनीकी	4598--1968	250.00
66.	फोसफामीडोन	विलेय द्रव	6177--1981	250.00
67.	प्रोपोक्सर	तकनीकी	8496--1977	250.00
68.	फाइरेथरम	पायसीकरणीय सांद्र	4808--1982	200.00
69.	पाइरेथरम	[illegible]	[illegible]	250.0

1.	2.	3.	4.	5.
70.	पाइरेथरम	हिम्मनाशी तेल	6014—1978	250.00
71.	क्यौनलफोस	तकनीकी	6072—1983	500.00
72.	क्यौनलफोस	धूलन चूर्ण	8029—1984	500.00
73.	क्यौनलफोस	पायसीकरणीय सांद्र	8028—1976	500.00
74.	क्यौनलफोस	कणिकाएं	9366—1980	500.00
75.	थियोमीटोन	पायसीकरणीय सांद्र	3905—1966	350.00
76.	थियोमीटोन	सांद्र	3904—1966	250.00
77.	टैमीफोस	तकनीकी	8701—1978	500.00
78.	टैमीफोस	पायसीकरणीय सांद्र	8498—1977	500.00
79.	ट्राइक्लोरफान	तकनीकी	7945—1976	250.00
80.	ट्राइक्लोरफान	धूलन चूर्ण	7943—1976	250.00
81.	ट्राइक्लोरफान	कणिकाएं	9364—1976	350.00
(ख)	एकैरशनाशी			
82.	डाइकोफोल	तकनीकी	5278—1969	250.00
83.	डाइकोफोल	पायसीकरणीय सांद्र	5279—1969	250.00
(ग)	कवकनाशी			
84.	कार्बेन्डाजिम (एम.बी.सी.)	तकनीकी	8445—1977	500.00
85.	कार्बेन्डाजिम	आर्द्रनीय चूर्ण	8446—1977	500.00
86.	कोपर ऑक्सी-क्लोराइड	तकनीकी	1486—1978	500.00
87.	कोपर ऑक्सी-क्लोराइड	धूलन चूर्ण	1506—1977	250.00
88.	कोपर ऑक्सी-क्लोराइड	आर्द्रनीय चूर्ण	1507—1982	250.00
89.	क्यूप्रस आक्साइड	तकनीकी	1682—1973	250.00
90.	एडलीफेनफोस	तकनीकी	8954—1978	500.00
91.	एडलीफेनफोस	पायसीकरणीय सांद्र	8955—1978	500.00
92.	एथिल मरकरी-	तकनीकी	2354—1983	250.00

1.	2.	3.	4.	5.
93.	लाइम सल्फर	घोल	1050--1984	350.00
94.	मैनकोजेब	तकनीकी	8707--1978	250.00
95.	मैनकोजेब	आर्द्रनीय चूर्ण	8708--1978	350.00
96.	मैथोक्सी इथेल मरकरी क्लोराइड (एम. ई. एम. सी.)	बीज ड्रेसिंग	2358--1984	250.00
97.	पैटाक्लोरोनइट्रबेनजेन (पी.सी.एन.बी.)	तकनीकी	7985--1976	500.00
98.	पैटाक्लोरोनाइट्रोजन (पी.सी.एन.बी.)	घूलन चूर्ण	7944--1976	500.00
99.	पैटाक्लोरोनाइट्रोजन (पी.सी.एन.बी.)	आर्द्रनीय चूर्ण	7948--1976	500.00
100.	फिनाईल मरकरी ऐसीटेट	तकनीकी	2136--1973	250.00
101.	सलफर	घूलन चूर्ण	6444--1979	250.00
102.	सलफर	आर्द्रनीय चूर्ण	3383--1983	350.00
103.	थाइरम	तकनीकी	4328--1982	250.00
104.	थाइरम	आर्द्रनीय चूर्ण	4766--1982	250.00
105.	जाइनयब	तकनीकी	3998--1981	250.00
106.	जाइनयब	आर्द्रनीय चूर्ण	3899--1981	350.00
107.	जाइरम	तकनीकी	3900--1975	250.00
108.	जाइरम	आर्द्रनीय चूर्ण	3901--1975	250.00
(घ)	शाकनाशी			
109.	एलाक्लोर	पायसीकरणीय सांद्र	9354--1980	500.00
110.	एलाक्लोर	कणिकाएं	9361--1980	350.00
111.	ब्यूटाक्लोर	तकनीकी	9355--1980	500.00
112.	ब्यूटाक्लोर	पायसीकरणीय सांद्र	9356--1980	500.00
113.	ब्यूटाक्लोर	कणिकाएं	9962--1980	350.00
114.	डालापोन	तकनीकी	8267--1976	500.00
115.	डालापोन	आर्द्रनीय चूर्ण	8288--1978	350.00

1.	2.	3.	4.	5.
116.	2,4--डी (सोडियम साल्ट)	तकनीकी	4321--1978	350.00
117.	डियारोन	तकनीकी	8702--1978	250.00
118.	डियारोन	आर्द्रनीय चूर्ण	8703--1978	250.00
119.	फ्लू क्लोरापिन	तकनीकी	8958--1978	500.00
120.	फ्लू क्लोरापिन	पायसीकरणीय सांद्र	8959--1978	500.00
121.	एम सीपी ए	तकनीकी	8494--1977	350.00
122.	नाइट्रोफेन	तकनीकी	8956--1978	500.00
123.	नाइट्रोफेन	पायसीकरणीय सांद्र	8957--1978	500.00
124.	पैराकेट डाइक्लोराइड	विलेय द्रव	8397--1977	500.00
125.	प्रोपेनिल	तकनीकी	8071--1976	500.00
126.	प्रोपेनिल	पायसीकरणीय सांद्र	8227--1976	500.00
127.	ट्रायलेट	तकनीकी	9557--1980	500.00
128.	ट्रायलेट	पायसीकरणीय सांद्र	9858--1980	500.00
(ङ)	वनस्पति वृद्धि विनियमक			
129.	क्लोरोमोकेट क्लोराइड	तकनीकी	8961--1978	350.00
(च)	धूमक			
130.	एलुमीनियम फोसफाइड	टिकिया	6438--1980	250.00
131.	एथिलेन डाइब्रोमाइड	तकनीकी	1311-1966	250.00
132.	एथिलेन डाइक्लोराइड कार्बन ट्रेट्राक्लोराइड मिश्रण 3:1 वी/वी	तकनीकी	634-1965	350.00
133.	मिथाइल ब्रोमाइड	तकनीकी	1312-1980	250.00
134.	बारफेरिन	तकनीकी	5558-1970	500.00
135.	बारफेरिन	बैटकोन	5540-1970	350.00
136.	बारफेरिन (सोडियम साल्ट)	तकनीकी	5551-1970	500.00

1	2	3	4	5
137.	बारपेरिन (सोडियम सॉल्ट)	घुलनशील द्रव	7168-1973	500.00
138.	जिंक फास्फाइड	तकनीकी	1251-1984	250.00

कीटनाशियों या उसकी विभिन्न विनिर्मितियों की बाबत जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, परीक्षण या विश्लेषण के लिए फीस निम्न प्रकार होगी जब तक केन्द्रीय सरकार या समय-समय पर, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए ।

	परीक्षण प्रभार (रुपये में)
1. तकनीकी श्रेणी	350.00
2. घूलन चूर्ण	250.00
3. आर्द्रनीय चूर्ण	350.00
4. पायसीकरणीय सांद्र	500.00
5. कणिकाएं	500.00
6. अन्य विनिर्मितियां	500.00
7. नए सूत्रीकरण/तकनीकी	500.00

[फा. सं. 19-3/96-पी. पी.-I]
पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 1999

G.S.R. 371(E).— Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971 were published, as required under Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) in the Gazette of India, Part II , Section 3, sub-section (i), dated the 6th July, 1998, under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation , No. G.S.R. 379(E). dated the 6th July,1998, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the said notification ,as published in the Gazette of India, were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 17th July,1998;

And Whereas objections and suggestions received from public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board hereby makes the following rules, further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

RULES

1. Short title and commencement -

(1) These rules may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (q).the following clauses shall be inserted , namely:-

"(r) 'Commercial Pest Control Operation' means any application or dispersion of Insecticide(s) including fumigants in household or public or private premises or land and includes pest control operations in the field including aerial applications for commercial purposes but excludes private use;

(s) 'Pest Control Operators' means any person who undertakes pest control operations and includes the person or the firm or the company or the organisation under whose control such a person(s) is operating."

3. In rule 6 of the said rules - (a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(2). An application form duly filled togther with a bank draft, drawn in favour of the Accounts Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, payable at Faridabad towards registration fee shall be sent to the Secretary, Registration Committee, Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, NH-IV, Faridabad -121001, Haryana. The fee shall be payable as follows :-

(i) rupees five thousand each in case of application for registration under Section 9(3) and 9(3B) of the Insecticides Act, 1968;

(ii) rupees two thousand five hundred in case of application for registration under Section 9(4) of the Insecticides Act, 1968";

(b) for sub-rule 6(A) the following sub-rule shall be substituted namely:-

"(6)(A) Issue of duplicate Certificate of Registration - A fee of rupees one hundred shall be paid in the form of demand

draft drawn on the State Bank of India, Faridabad in favour of the Accounts Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, Faridabad, Haryana for a duplicate copy of a Certificate of Registration if the original is defaced, damaged or lost ";

(c) after sub-rule 6(A), so amended the following rule shall be inserted, namely :-

"(6)(B) Addition, deletion or alteration on the Certificate of Registration including labels and leaflets - A Fee of rupees one hundred shall be paid in the form of demand draft drawn on the State Bank of India, Faridabad, in favour of the Accounts Officer, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad, Haryana on each occasion for each Certificate of Registration for addition, deletion, alteration on the Certificate of Registration including labels and leaflets."

4. In rule 7 of the said rules-(a) for sub-rule (3) , the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Every appeal shall be accompanied by a demand draft of rupees one thousand towards fee and a copy of the decision appealed against."

(b) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) The fee payable for preferring an appeal shall be paid by a demand draft drawn on the State Bank of India, New Delhi in favour of the Pay and Accounts Officer, Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi."

5. In rule 9 of the said rules:-

(a) for sub-rule (1) , the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) -Application for the grant or renewal of a licence to manufacture any insecticide shall be made in Form III or Form IV, as the case may be, to the licensing officer and shall be accompanied by a fee of rupees two thousand for every insecticide, and a maximum of rupees twenty thousand for all insecticides for which the licence is applied."

(b) for sub-rule (5) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) A fee of rupees one hundred shall be paid for a duplicate copy of a licence issued under this rule, if the original is defaced, damaged, or lost."

6. In rule 10 of the said rules -

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted , namely:-

"(2)- The fee payable under sub-rule (1) for grant or renewal of a licence shall be rupees five hundred for every insecticide for which the licence is applied. There shall be a separate fee for each place, if any insecticide is sold, stocked or exhibited for sale at more than one place. Provided that the

maximum fee payable in respect of insecticides commonly used for household purposes and registered as such shall be rupees seven thousand five hundred for every place.

Provided further that, if the place of sale is established in the rural areas, the fee shall be one fifth of the fee specified in this rule."

(b) after sub-rule (3), the following sub-rule 3(A) shall be inserted, namely:-

"3A. Pest Control Operators -

(i) Any person who desires to undertake pest control operations, with the use of Aluminium Phosphide, Methyl bromide, Ethylene dibromide or as notified shall apply for a licence in Form VI-A with a fee of rupees one thousand for each place of operation. The licence granted for such operations shall be valid for a period of five years provided that the licence shall be renewed after verification or inspection at the expiry of this period on application in Form VI-B for a further period of five years with an application fee of rupees one thousand.

(ii) A licence to stock and use insecticides for pest control operators will be issued in Form VI-C.

(iii) Any person who applies for grant of licence for undertaking pest control operations should be at least a graduate in Agriculture or in Science with Chemistry as a subject with a certificate of minimum 15 days training from any of the following Institutions - Central Food Technological Research Institute, Mysore; Indian Grain Storage Institute, Hapur and National Plant Protection Training Institute, Hyderabad.

(iv) For undertaking fumigation, the pest control operators shall have to obtain special permission from the Plant Protection Adviser to the Government of India in addition to obtaining licence. The Plant Protection Adviser will grant such permission as per procedure or guidelines approved by the Registration Committee.

(v) The commercial pest control operators shall adhere to the prescribed guidelines or procedures as laid down by the Plant Protection Adviser to the Government of India in regard to the fumigation operations undertaken by them."

(c) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) A fee of rupees one hundred shall be payable for a duplicate copy of a licence issued under this rule if the original is defaced, damaged or lost."

7. In rule 11 of the said rules,

(i) for sub-clause (b) (i) and (b) (ii) the following sub-clauses shall be substituted, namely:-

"b(i) rupees five hundred for the first month or part thereof, rupees one thousand for the second month or part thereof and rupees one thousand and five hundred for the third month or part thereof, in case of licence to manufacture insecticides or to carry pest control operations;

(ii) rupees one hundred for the first month or part thereof, rupees two hundred for the second month or part thereof and rupees three hundred for the third month or part thereof, in case of any other licence shall be paid alongwith the application for renewal;

Provided that where the main pest control operation unit or the place of sale is located in the rural areas, the late fee shall be one-fifth of the said late fee;

Provided further that in case of death or disability of the licensee, the Licensing Officer may after recording reasons in writing, exempt the applicant from payment of the late fee."

(2) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) The licence shall continue to be in force until it is renewed or revoked. Where an appeal is preferred under Section 15, the licence shall continue to be revoked until disposal of appeal or as ordered by the appellate authority pending disposal of the appeal."

8. In rule 14 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"2. The application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of rupees one hundred."

9. In the First Schedule to the said rules, after Form VI, the following forms shall be inserted, namely:-

"FORM VI - A
[See Rule 10(3A)]

Application for the grant of licence to stock and use restricted insecticide(s) for commercial pest control operation(s).

To

The Licencing Authority,

_____

_____

1. Full name of the applicant (Block letters)

2. Address :

(i) Registered Office

(ii) Zonal Office

(iii) Premises for which application is made

3. Is the applicant already in business or newcomer

4. Oualifications of responsible technical person*

(i) Educational Oualification

(ii) Training in pest control operations

(iii) Experience in using restricted insecticide (s) (Attach proof in respect of claims)

5. If in the trade, give full particulars of the names of restricted insecticide(s) handled and categories of operations undertaken, the period and the place(s) at which the trade was carried on.

6. Quantity(s) of each restricted insecticide in possession on the date of application (Give details of place(s) where it is stored).

7. Details of persons engaged or proposed to be engaged (Attach separate sheet, duly authenticated)

8. Details of safety applications available alongwith antidotes and all other facilities required under chapter will be stored for use.

9. Situations of the branch offices and depots where the restricted insecticide(s) will be stored for use.

10. Name (s) of restricted insecticide(s) which the applicant desires to use.

11. Category(s) applied for.

12. Particulars of the fee(s) deposited.

13. Whether technical expertise approved by the Plant Protection Adviser to the Government of India for undertaking Pest control operations (Attach Proof).

14. Whether permission obtained from Plant Protection Adviser to the Government of India for undertaking fumigation (Attach Proof & Validity).

Signature of the applicant

VERIFICATION

I.....S/o.....
.....do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given in the application and the annexure and statements accompanying it is correct and complete.

I further declare that I am making this application in my capacity as.....and that I am competent to make this application and verify it, by virtue of.....a photo or attested copy of which is enclosed herewith.

Signature with Seal

Date:
Place:

FORM VI B
[See Rule 10(3 A)]

Application for renewal of licence to stock and use of restricted insecticides for commercial pest control operation(s).

To

The Licensing Authority,
State.....
.....

I/We hereby apply for renewal of the licence to stock and use of restricted insecticides for categories:, I,II and III, under the name and style of.....The licence desired to be renewed was granted by the Licensing Authority and allotted licence No.....on the day of .....19....

2. State the change, if any. in:-

(a) Category of operation

(b) expert staff

(c) restricted insecticides used

(d) premises of stocking

(e) address including of branch offices

(f) whether any new branch/unit has been opened after grant or renewal of licence

(g) any other change

3. Particulars of fee deposited

4. Give latest details of persons engaged (attach separate sheet. duly authenticated)

Signature of the Applicant

VERIFICATION

I.....S/o.....
.....do hereby solemnly verify that to the best of my knowledge and belief the information given in the application and the annexures and statements accompanying it, is correct and complete.

I further declare that I am making this application in my capacity as (Designation) and that I am competent to make this application and verify it, by virtue of a photo / attested copy of which has already been submitted.

Date:
Place:

Signature with Seal

FORM VI-C
[See Rule 10(3-A)]

Licence to stock and use restricted insecticide(s) for commercial pest control operations.

I _____ is hereby licensed to stock restricted insecticides viz; _____ on the premises situated at _____ and carry out commercial pest control operations subject to the conditions specified below and to the provisions of the Insecticides Act, 1968 and the Rules thereunder.

2. Licence shall be in force from _____ to _____.

3. Conditions, if any

(i)
(ii)
(iii)

Licence No._____

Date:

Licensing Authority"
Seal

10. For the second Schedule to the said rules, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"THE SECOND SCHEDULE

(See rule 25)

Fees for testing or analysing the samples of Insecticides

Sl.No.	Name of Insecticide	Type of formulation	Testing as per Bureau of Indian standards specification and amendments thereof	Testing Charges (in Rs.)
1.	2.	3.	4.	5.
(A)	INSECTICIDES:			
1.	Aldrin	Technical	1306-1974	500.00
2.	Aldrin	Dusting Powder	1308-1984	500.00
3.	Aldrin	Emulsifiable conc	1307-1982	500.00
4.	Aldicarb	Encapsulated Granules	9371-1980	500.00
5.	BHC(HCH)	Technical and Refined	560-1980	500.00
6.	BHC(HCH)	Dusting powder	561-1978	500.00
7.	BHC(HCH)	Wettable powder	569-1978	500.00
8.	BHC(Gamma Isomer)	Emulsifiable Conc	632-1978	500.00
9.	Carbaryl	Technical	7539-1975	500.00
10.	Carbaryl	Dusting powder	7122-1984	500.00
11.	Carbaryl	Wettable Powder	7121-1984	500.00
12.	Carbaryl	Granules	9368-1980	500.00
13.	Carbofuran	Encapsulated Granules	9360-1980	500.00
14.	Chlordane	Techincal	2863-1961	250.00
15.	Chlordane	Dusting powder	2864-1973	250.00
16.	Chlordane	Emulsifiable conc	2682-1984	350.00
17.	DDT	Technical	563-1973	350.00
18.	DDT	Dusting powder	564-1984	250.00
19.	DDT	Wettable powder	565-1984	250.00
20.	DDT	Emulsifiable conc	633-1985	350.00
21.	Diazinon	Technical	1833-1980	250.00
22.	Diazinon	Wettable powder	2862-1984	250.00
23.	Diazinon	Emulsifiable conc	2861-1980	350.00
24.	Diazinon	Granules	9362-1980	350.00
25.	Dichlorvos	Technical	4923-1978	350.00
26.	Dichlorvos	Emulsifiable conc	5277-1978	500.00
27.	Dimethoate	Technical	3902-1975	500.00
28.	Dimethoate	Emulsifiable conc	3903-1984	500.00
29.	Endosulfan	Technical	4344-1978	250.00
30.	Endosulfan	Emulsifiable conc	4323-1980	350.00
31.	Endosulfan	Dusting Powder	4322-1967	250.00
32.	Endosulfan	Wettable powder	4324-1967	250.00
33.	Fenitrothion	Technical	5280-1969	250.00
34.	Fenitrothion	Dusting Powder	7126-1973	250.00
35.	Fenitrothion	Emulsifiable conc	5281-1979	250.00
36.	Fenitrothion	Granules	9365-1980	350.00
37.	Fenthion	Technical	7950-1976	500.00
38.	Fenthion	Emulsifiable conc	7948-1976	500.00
39.	Fenthion	Granules	9353-1980	500.00
40.	Formothion	Emulsifiable conc	8926-1976	350.00
41.	Heptachlor	Technical	6432-1972	250.00
42.	Heptachlor	Dusting Powder	6429-1981	250.00
43.	Heptachlor	Emulsifiable conc	6439-1978	350.00
44.	Lindane	Technical	1592-1986	500.00

1	2	3		
45.	Lindane	Granules	9370-1980	500.00
46.	Malathion	Technical	1832-1978	500.00
47.	Malathion	Dusting powder	2568-1978	500.00
48.	Malathion	Wettable powder	2569-1978	500.00
49.	Malathion	Emulsifiable conc	2567-1978	500.00
50.	Methyl Parathion	Technical	2570-1980	500.00
51.	Methyl Parathion	Dusting Powder	8960-1978	250.00
52.	Methyl Parathion	Emulsifiable conc	2865-1978	500.00
53.	Methyl Parathion	Technical	9372-1980	250.00
54.	Monocrotophos	Technical	8025-1983	350.00
55.	Monocrotophos	Soluble liquid	8074-1983	500.00
56.	Nicotine Sulphate	Solution	1055-1984	250.00
57.	Oxy-demeton-methyl	Technical	8258-1976	250.00
58.	Oxy-demeton-methyl	Emulsifiable conc	8259-1976	350.00
59.	Phenthoate	Technical	8293-1976	250.00
60.	Phenthoate	Emulsifiable conc	8291-1976	350.00
61.	Phorate	Technical	7976-1976	250.00
62.	Phorate	Encapsulated Granules	9359-1980	500.00
63.	Phosalone	Technical	8488-1977	500.00
64.	Phosalone	Emulsifiable conc	8487-1977	500.00
65.	Phosphamidon	Technical	4598-1968	250.00
66.	Phosphamidon	Soluble liquid	6177-1981	250.00
67.	Propoxur	Technical	8496-1977	250.00
68.	Pyrethrum	Emulsifiable conc	4808-1982	200.00
69.	Pyrethrum	Extract	1051-1988	250.00
70.	Pyrethrum	Larvicidal Oil	6014-1978	250.00
71.	Quinalphos	Technical	6072-1983	500.00
72.	Quinalphos	Dusting Powder	8029-1984	500.00
73.	Quinalphos	Emulsifiable conc	8028-1976	500.00
74.	Quinalphos	Granules	9366-1980	500.00
75.	Thiometon	Emulsifiable conc	3905-1966	350.00
76.	Thiometon	Concentrate	3904-1966	250.00
77.	Temephos	Technical	8701-1978	500.00
78.	Temephos	Emulsifiable conc	8498-1977	500.00
79.	Trichlorphon	Technical	7945-1976	250.00
80.	Trichlorphon	Dusting Powder	7943-1976	250.00
81.	Trichlorphon	Granules	9364-1976	350.00
(B)	ACARICIDES:			
82.	Dicofol	Technical	5278-1969	250.00
83.	Dicofol	Emulsifiable conc	5279-1969	250.00
(C)	FUNGICIDES			
84.	Carbendazim(MBC)	Technical	8445-1977	500.00
85.	Carbendazim	Wettable powder	8446-1977	500.00
86.	Copper Oxychloride	Technical	1486-1978	500.00
87.	Copper Oxychloride	Dusting Powder	1506-1977	250.00
88.	Copper Oxychloride	Wettable powder	1507-1982	250.00
89.	Cuprous Oxide	Technical	1682-1973	250.00
90.	Ediphenphos	Technical	8954-1978	500.00
91.	Ediphenphos	Emulsifiable conc	8955-1978	500.00
92.	Ethyl Mercury Chloride	Technical	2354-1983	250.00
93.	Lime Sulphur	Solution	1050-1984	350.00
94.	Mancozeb	Technical	8707-1978	250.00
95.	Mancozeb	Wettable powder	8708-1978	350.00
96.	Methoxy ethyl mercury Chloride(MEMC)	Seed Dressing	2358-1984	250.00

1	2	3	4	5
97.	Pentachloronitrobenzene(PCNB)	Technical	7985-1976	500.00
98.	Pentachloronitrobenzene(PCNB)	Dusting Powder	7944-1976	500.00
99.	Pentachloronitrobenzene(PCNB)	Wettable powder	7948-1976	500.00
100.	Phenylmercury acetate	Technical	2126-1973	250.00
101.	Sulphur	Dusting Powder	6444-1979	250.00
102.	Sulphur	Wettable powder	3383-1983	350.00
103.	Thiram	Technical	4328-1982	250.00
104.	Thiram	Wettable powder	4766-1982	250.00
105.	Zineb	Technical	3998-1981	250.00
106.	Zineb	Wettable powder	3899-1981	350.00
107.	Ziram	Technical	3900-1975	250.00
108.	Ziram	Wettable Powder	3901-1975	250.00
(D)	HERBICIDES			
109.	Alachlor	Emulsifiable conc	9354-1980	500.00
110.	Alachlor	Granules	9361-1980	350.00
111.	Butachlor	Technical	9355-1980	500.00
112.	Butachlor	Emulsifiable conc	9356-1980	500.00
113.	Butachlor	Granules	9962-1980	350.00
114.	Dalapon	Technical	8267-1976	500.00
115.	Dalapon	Wettable powder	8286-1976	350.00
116.	2,4-D Sodium Salt	Technical	4321-1978	350.00
117.	Diuron	Technical	8702-1978	250.00
118.	Diuron	Wettable powder	8703-1978	250.00
119.	Fluchloralin	Technical	8958-1978	500.00
120.	Fluchloralin	Emulsifiable conc	8959-1978	500.00
121.	MCPA	Technical	8494-1977	350.00
122.	Nitrofen	Technical	8956-1978	500.00
123.	Nitrofen	Emulsifiable conc	8957-1978	500.00
124.	Paraquate Dichloride	Soluble Liquid	8397-1977	500.00
125.	Propanil	Technical	8071-1976	500.00
126.	Propanil	Emulsifiable conc	8027-1977	500.00
127.	Triallate	Technical	9557-1980	500.00
128.	Triallate	Emulsifiable conc	9858-1980	500.00
(E)	PLANT GROWTH REGULATORS			
129.	Chlormequat chloride	Technical	8961-1978	350.00
(F)	FUMIGANTS			
130.	Aluminium Phosphide	Tablet	6438-1980	250.00
131.	Ethylene dibromide	Technical	1311-1966	250.00
132.	Ethylene dichloride: Carbon Tetrachloride mixture(3:1 v/v)	Technical	634-1965	350.00
133.	Methyl Bromide	Technical	1312-1980	250.00
134.	Warfarin	Technical	5558-1970	500.00
135.	Warfarin	Bait Conc	5540-1970	350.00
136.	Warfarin(Sodium salt)	Technical	5551-1970	500.00
137.	Warfarin(Sodium salt)	Soluble liquid	7168-1973	500.00
138.	Zinc Phosphide	Technical	1251-1984	250.00

(G) The fees for test or analysis in respect of insecticides or their various formulations other than the ones specified in this schedule shall be as follows unless otherwise specified by the Central Government or by any other officer authorised in this behalf from time to time:

		Testing charges (in Rs.)
1.	Technical Grade	350.00
2.	Dusting Powder	250.00
3.	Wettable Powder	350.00

4.	Emulsifiable Conc	500.00
5.	Granules	500.00
6.	Other formulations	500.00
7.	New formulations/tech.	500.00

[F. No. 19-3/96-PP. I]
P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 1999

सा.का.नि. 372 (अ).— कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 के अधीन यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 25 अगस्त, 1998 में भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं0 का0 नि0 521 (अ), तारीख 25 अगस्त, 1998 के अधीन ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई, पैंतालिस दिन की अवधि से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 11 सितम्बर, 1998 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ।

और उक्त प्रारूप पर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 1999 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के

नियम 9 में, दोनों उपनियम (3) और प्रारूप 5 क्रमशः खण्ड (V) और शर्त सं0 5 के पश्चात निम्नलिखित अनुक्रम में क्रमशः (vi) और (vii) को (6) और (7) के रूप में अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(vi) अनुज्ञप्तिधारक विनिर्माण प्रारंभ होने के तीन मास के भीतर भारतीय मानक ब्यूरो से आई एस आई चिन्ह प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा ।

(vii) कोई भी कीटनाशी आई एस आई चिन्ह प्रमाणपत्र के बिना विक्रय अथवा वितरित नहीं किया जाएगा ।"

3. उक्त नियमों के नियम 10 में, --

(क) उप नियम (4) में खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(iv) यदि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि कोई विशेष कीटनाशी मनुष्यों, जानवरों या पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो वह कारण अभिलिखित करने और कीटनाशी को विशेषज्ञ को निर्दिष्ट करने के पश्चात् तीस दिन अथवा जब उसे विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त हो, जो भी पहले है, की अवधि के लिए उसके विक्रय को अस्थायी रूप से निषेध कर सकता है ।"

(ख) उप नियम (4क) में खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(i) प्रत्येक व्यक्ति अपने कीटनाशी की संक्रिया आरंभ करने अथवा उनके विक्रय करने, स्टाक करने अथवा उनको विक्रय अथवा वितरण के लिए प्रदर्शन करने की अनुज्ञप्ति मंजूर करने अथवा नवीकरण करने के आवेदन के साथ अपने मालिक का, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधित्व करने का इच्छुक है प्रारूप 6 घ में प्रमाणपत्र फाइल करेगा ।"

4. उक्त नियमों के नियम 10 क में, उपनियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) तत्पश्चात् ऐसा सभी स्टाक ऐसी पर्यावरण के अनुकूल रीति से नष्ट किया जाएगा, जिसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, और उसे पुनर्विनिर्माण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 35 में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात :-

"परिवहन के समय पैकिंग, भंडारण की रीति ।"

6. उक्त नियमों की अनुसूची 1 में प्रारूप 6ग के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप 6घ अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्रारूप 6घ"

मालिक का प्रमाण पत्र
नियम 10(4-क)(i)

विनिर्माता का नाम और पता — मालिक का प्रमाणपत्र संख्यांक, तारीख

हमारे पास हमारे कारखानों के लिए जो कि नीचे दिए गए हैं कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्तियां हैं :-

क्र0 सं0	विनिर्माण परिसरों का नाम और पता	अनुज्ञप्ति संख्यांक	तारीख---तक विधिमान्य	अनुज्ञापन प्राधिकारी का नाम और पता
1	2	3	4	5	6

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स..... ने कीटनाशी नियम, 1971 के 10 के उपनियम(1) के अनुसार कीटनाशियों/की विक्रय करने, स्टाक करने या विक्रय अथवा वितरण के लिए प्रदर्शित करने/अनुज्ञप्ति मंजूर करने (प्रारूप 6)/ अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने (प्रारूप 7) के लिए आवेदन किया है । मैं/हम निम्नलिखित कीटनाशियों को .....तालुक/जिला/राज्य में थोक/फुटकर विक्रय करने, स्टाक करने या विक्रय अथवा वितरण के लिए प्रदर्शित करने के लिए उन्हें प्राधिकृत करता हूं/करते हैं ।

क्र.सं.	कीटनाशी का व्यापार	रजिस्ट्रीकरण सं.	तारीख

प्रारूप 6 के क्रम संख्यांक 5 के अनुसार उपरोक्त व्यौहारी निम्नलिखित स्त्रोत/स्त्रोतों से हमारे कीटनाशी अभिप्राप्त करेगा ।

क्रम सं0	स्त्रोत/स्त्रोतों का नाम/के नाम	स्त्रोत/स्त्रोतों का विस्तृत पता	अनुज्ञप्ति संख्यांक और तारीख	अनुज्ञप्ति तक विधिमान्य	उन परिसरों के विस्तृत पते, जहां से कीटनाशियों का स्टाक किया है
1	2	3	4	5	6

व्यौहारी जिसे यह मालिक का प्रमाणपत्र जारी किया गया है उपरोक्त लिखित स्त्रोत/स्त्रोतों से हमारे कीटनाशियों को क्रय करेगा और यदि वह उपरोक्त लिखित स्त्रोतों से भिन्न अन्य स्त्रोतों से हमारे कीटनाशियों का क्रय करता है तो वह कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में होगा ।

यह मालिक का प्रमाण पत्र----- तक विधिमान्य है ।

हस्ताक्षर/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/
पदनाम
विस्तृत पता

तारीख

स्थान
कंपनी की मुद्रा

मैं मालिक के प्रमाण पत्र में दर्शित स्त्रोत/स्त्रोतों से, जिन्हें ऊपर उल्लिखित किया गया है, कीटनाशी अभिप्राप्त करूंगा । मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि उपरोक्त लिखित से अन्य स्त्रोत/स्त्रोतों से इन कीटनाशियों को अभिप्राप्त करता हूं तो वह कीटनाशी अधिनियम 1968 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में होगा ।

तारीख : हस्ताक्षर :

स्थान : नाम :

व्यौहारी की मुद्रा : पदनाम :

व्यौहारी की अनुज्ञप्ति : व्यौहारी का पता

संख्या और तारीख :

(यदि अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए जारी की जाती है)

प्रति संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाए ।"

[फा. सं. 19-3/96-पी. पी.-I]
पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम भारत के राजपत्र में सा0का0नि0650, तारीख 11 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गये थे जिसमें तत्पश्चात् सा0 का0नि0 533 (अ), तारीख 6-8-93 तथा सा0का0नि0 379 (अ) तारीख 2-7-98 द्वारा संशोधन किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 1999

G.S.R. 372(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971 were published, as required under Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), in the Gazette of India ,Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 25th August, 1998, under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, No. G.S.R. 521(E), dated the 25th August, 1998 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the said notification as published in the Gazette of India, were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th Sept., 1998.

And Whereas no objection and suggestion was received on the said draft.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board hereby makes the following rules, further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely:-

1. Short title and commencement -

(1) These rules may be called the Insecticides (Second) (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, both in sub-rule 3 and in Form V, after clause (v) and condition number 5, respectively the following shall be inserted in sequence, namely:-

"The Licensee shall obtain ISI Mark Certificate from Bureau of Indian Standard within three months of the commencement of the manufacture.

No Insecticides shall be sold or distributed without ISI Mark Certification."

as (vi) add (vii) add (6) add (7) respectively.

3. In the said rules, in rule 10.

(a) in sub-rule (4), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iv) if the licensing officer is satisfied that a particular Insecticide is harmful to human beings, animals or environment, he may after recording reasons and referring the Insecticide to the Insecticide Analyst, prohibit temporarily its sale for a period of thirty days or till he obtains the report of the Analyst, whichever is earlier."

(b) in sub-rule (4A), for clause (i), the following clause shall be substituted namely:-

"(i) Every person shall alongwith his application for grant or renewal of a licence to undertake operation or sell, stock or exhibit for sale or distribute Insecticides, file a certificate from the principal whom he represents or desires to represent in Form VI-D."

4. In the said rules, in rule 10A, for sub-rule (b), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(b) All such stocks then shall be disposed of in an environment friendly manner as may be specified from time to time by the Central Government in consultation with the Central Insecticides Board and shall not be used for remanufacture."

5. In the said rules, in rule 35, for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Manner of Packing, Storage while transporting."

6. In the said rules, in SCHEDULE-I, after Form VI-C, the following Form VI-D shall be inserted , namely:-

"FORM VI D"

PRINCIPAL CERTIFICATE

Rule 10(4-A)(i)

Name and address of the Manufacturer

Principal Certificate No.
Date

We have Insecticide Manufacturing Licences for our factories as given below:-

Sl. No.	Name & Address of the Manufacturing premises	Licence No.	Date	Valid upto	Name & Address of the Licensing Authority
1.	2.	3.	4.	5.	6.

This is to certify that M/s. _____ have applied for grant of Licence (Form VI)/renewal of Licence (Form VII) to sell, stock or exhibit for sale or distribution of insecticides as per sub-rule (1) of rule 10 of the Insecticides Rules,1971. We authorise them to sell, stock or exhibit for sale or distribution of the following insecticides in Wholesale/Retail in _____ Taluka/District/State.

Sl. No.	Common Name of insecticide	Trade mark of the Insecticide	Registration No.	Date

As per Sr.No. 5 of the Form VI the above dealer will obtain our insecticides from the following source/sources

Sl. No.	Name of source(s)	Detailed address of the Source(s)	Licence No.& date	Licence valid upto	Detailed address of the premises where source(s) are stocking insecticides
1.	2.	3.	4.	5.	6.

The Dealer to whom this Principal Certificate has been issued will purchase our insecticides from the source/sources stated above and if he purchases our insecticides from sources other than those stated above then it would be a contravention of the Insecticides Act, 1968 and rules made thereunder.

This Principal Certificate is valid upto _____

Date:

Place:

Signature(Authorised signatory)

Company's Seal

Designation:

Detailed address

I shall obtain the insecticides shown in the Principal Certificate from the source/sources which are stated above. I am aware that if, I obtain these insecticides from source/sources other than those stated above, this would be contravention of the Insecticides Act, 1968 and Rules made thereunder.

Date:

Place: Signature:

Dealer's Seal Name:

Designation:

Address of the Dealer:

Dealers Licence
No. & Date

(if issued for Renewal of Licence)

Copy submitted to the concerned Licensing Authority"

[F. No. 19-3/96-PP. I]
P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, vide number GSR 1650, dated 11th October, 1971 and subsequently amendmed vide GSR 533(E) dated 6-8-1993 , and GSR 379(E) dated 2-7-98.